कार्यालय : प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर (उ0प्र0)–228001

Office: Principal, Autonomous State Medical College Sultanpur U.P. 228001

Email ID asnmc2023@gmail.com | Website- www.asnmcsultanpur.in

Ref No. **Date: / /2026**

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर में प्रवेश लेने के लिए छात्र/छात्राओं हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश नीट0पी0जी0 2026–27

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,सुल्तानपुर की वेबसाइट (www.asnmcsultanpur.in) से निम्नलिखित फॉर्म/प्रपत्र डाउनलोड कर प्रिंट निकाल कर भर लें एवं प्रवेश लेने हेतु साथ में लेकर आयें:

- Document Check List & Admission Form (Page 1, 2)
- Medical Examination Form (चिकित्सा परीक्षण फॉर्म) (Page 3)
- Undertaking (NOT submitting original document) (Page 4)
- NOC (for ATTENDING counseling) (Page 5)
- Affidavit Rural Service Bond (mandatory) (Page 6, 7, 8)
- Affidavit - Anti Ragging by student (रैगिंग की रोकथाम हेतु छात्र का) (mandatory) - Online: https://www.antiragging.in/affidavit_affiliated_form.php
- Affidavit - Anti Ragging by parents/guardian (रैगिंग की रोकथाम हेतु पिता/अभिभावक का) (mandatory) (Page 9, 10)
- Affidavit Document Authentication (mandatory) (Page 11)
- Affidavit - Fees Refund (if Applicable) - यदि छात्र का स्वयं का Savings Account नहीं है तो यह Affidavit बनवाकर लाएं। (Page 12)
- छात्रावास में रहने के लिये प्रार्थना पत्र। (Page 13)
- Gap Affidavit (if Applicable).

प्रवेश लेने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज भी साथ में लेकर आयें:

• समस्त Original documents एवं उनके तीन सेट फोटो कापी एवं 8 नवीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।

• स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर में रिपोर्टिंग का समय प्रातः 9:00 बजे है।

• छात्र द्वारा अपने स्वयं के Savings Account (Bank Account) की Detail एवं Cheque Book / Passbook की फोटो कापी साथ में लायें। यदि छात्र का स्वयं का Savings Account नहीं है तो अपने माता-पिता के Savings Account की Details एवं Cheque Book / Passbook (first page) की फोटो कापी साथ में लेकर आयें।

• Medical Health Check-up स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर से सम्बन्धित चिकित्सालय में ही होगा।

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
सुल्तानपुर।

Annexure .01

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर उ0प्र0 228001

रजि0 कमाँकः– **स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र**

मैं.....पुत्र/पुत्री.....

एन0ई0ई0टी0–**2026–27** अनुक्रमाँक....., स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर में परास्नातक के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्वास्थ्य परीक्षा के लिये प्रस्तुत हुआ हूँ।

छात्र/छात्रा का मो0 नं0..... पिता का मो0न0.....

नेत्र की जाँच	**बिना चश्मे के**	**चश्मे के साथ**	**विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर**
दाहिनी आँख	.....	.....	
बाँयी आँख	.....	.....	

विभागाध्यक्ष रेडियोलॉजी विभाग के हस्ताक्षर

.....

.....

विभागाध्यक्ष सर्जरी/गायना0 विभाग के हस्ताक्षर

.....

.....

विभागाध्यक्ष मेडिसिन विभाग के हस्ताक्षर

.....

.....

विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी विभाग के हस्ताक्षर

.....

.....

विभागाध्यक्ष ई0एन0टी0 विभाग के हस्ताक्षर

.....

.....

.....

विभागाध्यक्ष एस0पी0एम0 विभाग के हस्ताक्षर

हिपेटाइटिस बी प्रथम/द्वितीय/तृतीय

.....

टिटनस.....

छात्र/छात्रा के दो शारिरिक चिन्ह निम्न प्रकार है।

1–.....

2–.....

अंगूठा निशानी
(बाँया/दाँया)

फोटो

.....

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

दिनाँक: .....

उपरोक्त छात्र/छात्रा की स्वास्थ्य परीक्षा कर ली गई है। इन्हें किसी प्रकार की प्राकृतिक, शारीरिक, मानसिक दुर्बलता आदि रोग नहीं है। हम छात्र/छात्रा को प्रवेश हेतु स्वस्थ्य एवं उपयुक्त समझते/नही समझते है।

प्रवेश दे दिया जाये/ न दिया जाये।

अध्यक्ष,
मेडिकल बोर्ड,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
सुल्तानपुर

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
सुल्तानपुर

Required Document for Admission NEET PG (2026-27)

CHECK LIST

Name of Student:.....NEET PG Roll No:.....
Category:.....Allotted Category:.....Quota:.....AIR Rank.....

Sr.No.	Name of Documents	Yes/No
1.	NEET PG Allotment letter.	
2.	NEET PG Admit Card 2026.	
3.	NEET PG Score Card 2026.	
4.	10th Marksheet and Passing Certificate.	
5.	12th Marksheet and Passing Certificate.	
6.	Mark Sheet of all Prof. Examination of MBBS/BDS.	
7.	MBBS/BDS passing out certificate or Degree.	
8.	Compulsory Rotatory Internship Completion Certificate.	
9.	Permanent Registration Certificate (State Medical Council/MCI/DCI).	
10.	Reservation Certificate (SC/ST/OBC/EWS/PwD) if applicable **	
11.	Medical Certificate.	
12.	Character Certificate (Within 6 Month).	
13.	Domicile Certificate**	
14.	Identity Card (Aadhar Card/PAN Card/Driving License/Passport/Voter ID).	
15.	NCC/FF/Physically Handicapped (PH) Certificate.	
16.	Service Bond (on Rs.100/- Stamp).	
17.	Document authentication affidavit Declaration Form (on Rs.50/- Stamp).	
18.	Anti-Ragging affidavit - Guardian (on Rs.50/- Stamp).	
19.	Anti-Ragging affidavit - Student (on Rs.50/- Stamp).	
20.	Guardian Oath Letter (on Rs.50/- Stamp).	
21.	Eight Photographs.	

** All Documents should be in two sets with all the Original documents and arranged in serial no.

** Reservation Certificate prepared after 1 April 2026 is acceptable.

(Signature of Candidate) Left Thumb: Right Thumb:

Remark:.....

Recommendation for Admission (Provisional) in PG 1st year for Session 2026-27

Signature (Member) **Signature (Member)** **Signature Scrutiny Officer**

Principal (Signature)

ADMISSION FORM

Affix passport size photograph

| | | |

(To Be Made On Rs. 10/- Stamp)

Undertaking

सेवा में,
प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ,सुल्तानपुर।

महोदय,

मैं.....पुत्र/पुत्री.....अनुक्रमांक.....आज आपके कालेज में प्रवेश लेने हेतु प्रस्तुत हुआ/हुई हूँ किन्तु मैं निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूल रूप में पूर्व कॉलेज में जमा होने के कारण प्रस्तुत नही कर पा रहा/रही हूँ। मैं निम्न प्रमाण पत्र 07 दिन के अन्दर जमा कर दूँगी। यदि मै ऐसा नही करने में असमर्थ होता/होती हूँ तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाए।
प्रमाण पत्रः—

1-	2- .....
3-	4-.....
5-	6-.....
7-	8-.....
9-	10-.....

हस्ताक्षर माता/पिता:
माता/पिता का नाम:

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा:
छात्र/छात्रा का नाम:

Rural Service Agreement Bond

(To be made on Rs. 100/- stamp)

AGREEMENT BOND FOR CANDIDATES ADMITTED TO PG COURSE

THIS DEED OF AGREEMENT BOND IS EXECUTED AT _____ON THIS DAY OF _____SESSION 2026-27

BETWEEN

NAME: _____S/O, D/O, W/O:_____

RESIDING AT (PERMANENT ADDRESS): _____

TEMPORARY ADDRESS: _____

MOBILE NO: _____E-mail ID: _____AADHAR NO.: _____

Hereinafter referred to as ("FIRST PARTY") of the one part

And

Governor of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as "Government") of the Second Part.

WHEREAS FIRST PARTY has applied for admission to _____ course and FIRST PARTY has been selected to the said course. As per the Prospectus, the FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period not less than Two years after successful completion of the _____ course. If the FIRST PARTY fails to serve the government for a period of Two years, the FIRST PARTY shall forthwith pay a sum of Rs. 40 Lacs for MD/MS to Government at the specified Government Treasury. During the above period the FIRST PARTY shall be paid stipend and the Government will request their services within a period of three months from the date of successful completion of the course. In case the Government does not provide services in mentioned period, the BOND shall be released; AND

WHEREAS the FIRST PARTY has also agreed that on successful completion of the _____ course his/her certificates relating to _____ course will not be given to the FIRST PARTY unless the FIRST PARTY successfully serves the Government for a period of Two years or pays to the Government on demand the sum of Rs. _____ (Rupees _____ only). If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rates specified by the Government as per applicable law during the period of delay; AND

WHEREAS the Government have, at the request of the FIRST PARTY employed as _____ granted stipend to him/her for a period of 24 months with effect from _____ in order to enable his/her to study at _____ college AND WHEREAS if the FIRST PARTY works for a period of less than 24 months during the Super specialty course DM/MCH / Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS / Graduate Degree MBBS/BDS Course, the proportionate amount will be treated as stipend and the FIRST PARTY shall pay back in addition to the security amount of Rs. _____ (Rupees _____ only) the balance amount of stipend to the Government. This bond shall in all respects be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.

NOW THIS DEED OF AGREEMENT BOND WITNESSES AS FOLLOWS:-

1- The FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period of Two years on successful completion of the Super speciality course DM/MCH / Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS / Graduate Degree MBBS/BDS course. If the FIRST PARTY fails to serve the Government for a period of Two years, FIRST PARTY shall pay forthwith a sum of Rs. _____ (Rupees _____ only) to the Government in the specified Government Treasury.

2- The FIRST PARTY agrees that till the successful completion of the period of Two years service to the Government or till the payment of Rs. _____ (Rupees _____ only) is paid, the certificates relating to Super speciality Course DM/MCH / Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS / Graduate Degree MBBS/BDS course shall be in the custody of the Concerned Institution/University/College and the Government has a first lien over all the certificates gained by the candidates at the time of admission.

3- The FIRST PARTY authorizes the Concerned Institution/University/College for retention of the certificates till the lien of Government is cleared/discharged.
4- This BOND shall in all respects be governed by the Laws of India for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.
5- If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rate specified by the Government as per applicable law during the period of delay, failing which Government shall have right to recover the aforesaid amount together with interest as arrear of land revenue.
6- The FIRST PARTY shall bear the Stamp duty chargeable on this BOND.

IN WITNESS WHEREOF parties to this Deed have signed this BOND on the date first above mentioned.

For and on behalf of
FIRST PARTY:

For and on behalf of
Governor:

Witnesses:-

Affidavit - Ragging की रोकथाम हेतु पिता/अभिभावक का शपथ-पत्र
(50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र)
समक्ष प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,सुल्तानपुर ।

1- मैं श्री/श्रीमती/सुश्री _____ पुत्र/पत्नी _____ निवासी _____ का पुत्र/पुत्री _____ एन०ई०ई०टी० पी०जी० 2026-27 रोल नम्बर _____ ने स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , सुल्तानपुर में प्रवेश लिया है। मैंने रैगिंग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से सम्बन्धी विनियम-2009 में उल्लिखित प्रावधानों को भली भाँति ध्यान से पढ़ एवं समझ लिया है।

2- मैंने मुख्य रूप से विनियम 3 को पढ़ एवं समझ लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या मायने हैं।

3- मैंने धारा 7 तथा धारा 8.1 विनियम को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अगर मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के लिए दोषी पाया जाता है या किसी तरह की रैगिंग के लिए उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग में संलिप्त पाया जाता है तो प्रशासन मेरे पुत्र/पुत्री के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।

4- मैं शपथ पूर्वक यह सुनिश्चित करता/करती हूँ कि :-

क- मेरा पुत्र/पुत्री किसी तरह के रैगिंग, जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है, में शामिल नहीं होगा।

ख- मैं अपने पुत्र/पुत्री को किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होने दूँगा/दूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।

5- मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मेरे पुत्र/पुत्री रैगिंग के मामले में दोषी पाया गया/पायी गयी तो मेरे पुत्र/पुत्री को विनियम 8.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे पुत्र/पुत्री के विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और मेरे पुत्र/पुत्री को ऐसे मामले में पाया जाता है तो मेरे पुत्र/पुत्री का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

शपथी के हस्ताक्षर: _____
नाम: _____
पता: _____
दूरभाष नं०: _____

<u>सत्यापन:</u>

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नहीं है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया गया न ही गलत बयान दिया गया है।

शपथी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिनाँक _____ को दिये गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त:

विनियम 2009 - पैरा 3 (रैगिंग का अर्थ):-
निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएँगे-
(क) किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आने वाले छात्र का मौखिक शब्दों/लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।
(ख) छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।
(ग) किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।
(घ) वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाए।
(ङ) नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।
(च) नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।
(छ) शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य / किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।
(ज) मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ईमेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग पर ले जाना, सताना अथवा कष्ट देना या सनसनी पैदा करना, जिससे नए छात्र को घबराहट हो।
(झ) कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

धारा 7 :- रैगिंग के अन्तर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं:
1- रैगिंग हेतु उकसाना 2- रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र 3- रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना 4- रैगिंग के समय जनता को बाधित करना 5- रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना 6- शरीर को चोट पहुँचाना 7- गलत ढंग से रोकना 8- आपराधिक बल प्रयोग 9- प्रहार करना, यौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध 10- बलात ग्रहण 11- आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना 12- सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध 13- आपराधिक धमकी 14- मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना 15- उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना 16- शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना 17- रैगिंग की परिभाषा से सम्बंधित सभी अपराध।

धारा 8.1 :- रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्यवाही :-
किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जायेगा:
1- रैगिंग विरोधी समिति उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए रैगिंग विरोधी दल दण्ड हेतु अपनी संस्तुति देगा।
2- रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी:
• कक्षा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकारों से निलम्बन। • छात्रवृत्ति / अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना / वंचित करना। • किसी टेस्ट / परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना। • परीक्षाफल रोकना। • किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना। • प्रवेश रद्द करना, संस्था से 04 सत्रों तक के लिए निष्कासन करना। • संस्था से निष्कासित और परिणामस्वरूप किसी भी संस्था में निश्चित अवधि तक निष्कासन करना। जब रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके संस्था सामूहिक दण्ड का आश्रय लेगी।

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर: छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर:

Affidavit - Document Authentication

(10/50 रूपये के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र)

समक्ष प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर।

एतदद्वारा मैं _____ पुत्र/पुत्री _____ निवासी _____ एन०ई०ई०टी० पी०जी० 2026-27 रोल नं० _____ शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सुल्तानपुर में पी०जी० में प्रवेश लेने हेतु मुझे निम्नलिखित सभी शर्तें व नियम स्वीकार हैं। इनमें से यदि किसी शर्त या नियम का पालन करने में असमर्थ रहा/रही तो मेरा प्रवेश किसी भी समय निरस्त कर दिया जाये, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा इसके लिये मैं किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं करूँगा/करूँगी तथा न ही किसी अदालत का सहारा लूँगा / लूँगी और न ही किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव डलवाने की कोशिश,करूँगा/करूँगी

1- मैं साधारणतः छात्र जीवन व्यतीत करते हुए पूर्ण रूप से अनुशासित रहकर अध्ययन करूँगा/करूँगी, कालेज एवं विश्वविद्यालय के सभी नियमों का पालन करूँगा / करूँगी।

2- मैं किसी प्रकार की राजनैतिक प्रक्रिया, किसी प्रकार की अवैधानिक हड़ताल आदि में प्रतिभाग नहीं करूँगी/करूँगा।

3- मैं अपने शिक्षकों, सम्बंधित कर्मचारियों तथा कालेज के अन्य व्यक्तियों, तथा साथियों से सदैव सद्भावना का व्यवहार करूँगा/करूँगी।

4- कालेज परिसर में अथवा छात्रावास में रहते हुए किसी प्रकार का असंगत वातावरण नहीं बनाऊंगा/बनाऊँगी, तथा पूर्ण नशाबन्दी व अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में विश्वास रखूँगा/रखूँगी।

5- मैंने अपनी इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष .....में उत्तीर्ण की है इसके पश्चात् वर्ष.....से .....तक ..... अध्ययन किया है / अध्ययन नहीं किया है।

6- मैं वर्तमान में किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय / संस्थान / विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत नहीं हूँ। यदि यह पाया जाये कि मैं किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय / संस्थान / विश्वविद्यालय के अन्य किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हूँ तो मेरा पी०जी० 2026-27 में प्रवेश निरस्त कर दिया जाये।

7- पिछले वर्ष की एन०ई०ई०टी० से सम्बन्धित मेरे द्वारा कोई याचिका लम्बित नहीं है।

8- मैंने हिपेटाइटिस बी वैक्सीन का एक इंजेक्शन लगवा लिया है जिसका प्रमाण पत्र जमा कर रहा/रही हूँ / मैंने उक्त इंजेक्शन नहीं लगवाया है। मैं इंजेक्शन लगवा रहा/रही हूँ तथा अन्य दो डोज मैं निर्धारित समय पर अवश्य लगवा लूँगा/लूँगी।

9- एन०ई०ई०टी० पी०जी०-2026-27 के सन्दर्भ में मेरे द्वारा दी गयी सूचना/विवरण/जमा किये गये प्रमाण-पत्र व अन्य घोषणायें यदि असत्य पाई जाये तो मुझे दोषी मानते हुए मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाये।

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर छात्र के हस्ताक्षर

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र की धारा 01 से 09 तक मेरे जाती इल्म से सत्य एवं वास्तविक हैं इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। इसकी तसदीक आज दिनाँकः ___/___/2026 को की गयी।

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर छात्र के हस्ताक्षर